न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर/विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बुलन्दशहर।

उपस्थित– विवेक कुमार–I,

एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4130 सन 2024

1. सचिन शर्मा पुत्र श्री गजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
2. श्रीमती शिमलेश पत्नी गजेन्द्र प्रसाद शर्मा,

निवासीगण गली नम्बर–3, अम्बा एन्क्लेव, पन्नीनगर, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर। .....आवेदक–अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। .....अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या 27 सन 2024
अन्तर्गत धारा 498ए, 504 व 506 भा.द.स.
धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।

निस्तारण अग्रिम जमानत आवेदन

यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक–अभियुक्तगण सचिन शर्मा एवं श्रीमती शिमलेश की ओर से उक्त अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र के अनुसार अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन है। यह जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के न्यायालय से अन्तरण पर प्राप्त हुआ है।

प्राथमिकी के अनुसार वादनी मुकदमा सुरभि शर्मा की शादी सचिन शर्मा पुत्र गजेन्द्र प्रसाद शर्मा निवासी अम्बा एनक्ल्व, गली नम्बर 3 थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर के साथ दिनांक 20.11.2019 को हुई थी। शादी में दिये दान दहेज से वादनी के ससुराल वाले खुश नहीं हुए, उससे अतिरिक्त दहेज में हुंडई की 'वरना' कार की मांग की। वादनी जब गर्भवती हुई तो गर्भ में बेटी होने के कारण उस पर गर्भपात का दवाब बनाया और दूसरी संतान पुत्री होने पर उसके साथ तानाकसी कर गाली गलौंच की तथा नींद की गोलियां दी गई। दिनांक 10.12.2022 को विपक्षीगण ने वादनी मुकदमा के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी और तभी से वह अपने पीहर में रह रही है। उक्त कथनों के आधार मुकदमा थाना कोतवाली नगर पर दर्ज हुआ तथा विवेचना प्रचलित की गई।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क कियागया है कि आवेदक–अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, झूँठा फंसाया गया है, आवेदक–अभियुक्त सचिन वादनी का पति है तथा शिमलेश वादनी की सास है। वादनी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई न ही दहेज की मांग की गई है और न ही किसी प्रकार उसका उत्पीड़न किया गया है। वादनी को उसके प्रेमी से बात करने पर डांटा गया था, जिस पर वह नकदी व जेवरात लेकर चली गई। वादनी ने आवेदकगण के विरूद्ध अनेकों मुकदमे दर्ज करा दिये गये हैं। यह भी तर्क किया गया है कि पुलिस उन्हें बेवजह गिरफतार कर अपमानित करना चाहती है। अतः जमानत पर मुक्त किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि आवेदक अभियुक्तगण द्वारा वादनी मुकदमा को अतिरिक्त दहेज के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया

Digitally signed by VIVEK KUMAR
Date: 2024.07.31 15:22:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया है तथा वादनी मुकदमा के आचरण पर गम्भीर टिप्पणी करते हुए उसे प्रताड़ित किया गया है। **यदि अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत मन्जूर की जाती है तो वे विचारण में उपस्थित नहीं होंगे,** जिससे मामले का विचारण अनिश्चित काल के लिये लम्बित रहेगा, इसी कारण आवेदकगण द्वारा नियमित जमानत का आवेदन प्रस्तुत न करके, यह अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण पर आरोप है कि उनके द्वारा वादनी मुकदमा को अतिरिक्त दहेज में 'वरना' कार की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है तथा उसका जबरदस्ती गर्भपात कराने का प्रयास किया गया, तथा वादनी मुकदमा को पुत्री होने के कारण तानाकशी व गालियां दी गई। बचाव पक्ष की ओर से वादनी मुकदमा व सचिन की शादी होना स्वीकार किया गया है। जमानत आवेदन में वादनी मुकदमा के आचरण पर टिप्पणी करते हुए यह तथ्य उल्लिखित किया गया है कि वादनी मुकदमा को प्रेमी के साथ बात करने पर डांटा गया था। आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित हैं, मामले में आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क कि पुलिस अभियुक्तगण को बेवजह गिरफतार कर अपमानित करना चाहती है, उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक अभियुक्तगण सचिन शर्मा व श्रीमती शिमलेश का अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4130 सन 2024 निरस्त किया जाता है।

दिनांक 31.07.2024

(विवेक कुमार–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, बुलन्दशहर।
आई.डी. यू.पी. 2415